59/23 पदमादेवी उनवान बाबूलाल

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख व हस्ताक्षर उस शख्स जो इस हुक्म की तामील के जारी हुआ

15/12/25 पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा राजस्व वसूली में वादिका द्वारा वादग्रस्त भूमि प्रस्तावित कर दिये जाने के कारण वादपत्र आरित करने का निवेदन किया गया। वादी अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र प्रस्तावित धारा 188 राजस्व कार्यवाही अधिनियम आरित किया जाता है। क्योंकि सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली कॉमन शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो।

15/12/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा